रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2015/आश्विन 28, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 125
No. 138] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2015/ASVINA 28, 1937 [N.C.T.D. No. 125

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2015

सं. फा. 10(13)/पर्या./2015/6167–6189.–रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029/1985 में वादकालीन आवेदन संख्या 2015 का 345 एवं 2015 का 365 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित दरों पर हल्के तथा भारी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) वसूल करेगी :–

(i) श्रेणी 2 (हल्के ड्यूटी वाहनों इत्यादि) तथा
श्रेणी 3 (2 ऐक्सल ट्रक) 700/–रुपये

(ii) श्रेणी 4 (3 ऐक्सल ट्रक) तथा
श्रेणी 5 (4 ऐक्सल ट्रक तथा अधिक) 1300/–रुपये

यद्यपि, यह प्रभार निम्नलिखित पर नहीं लगाया जायेगा;

(क) यात्री वाहनों और एम्बुलेंस

(ख) अनिवार्य वस्तुएं अर्थात् खाद्य सामग्री ले जाने वाले वाहनों और तेल टैंकरों पर।

2. प्रभार टोल संग्रहण एजेंसी/दिल्ली नगर निगम की कंसेशनेर, एस.एम.वाई.आर. कन्सोरसियम एलएलपी द्वारा बिना किसी कटौती के संग्रहित किया जायेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा पोषित लेखा/शीर्ष में प्रत्येक शुक्रवार को जमा कराया जायेगा। टोल संग्रहण एजेंसी/कंसेशनेर 30 नवम्बर, 2015 तक शहर में नौ मुख्य प्रविष्टि स्थानों पर अपनी लागत से रेडियों फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) प्रणाली लगाएगी तथा शहर में शेष 118 प्रविष्टि स्थानों पर 31 जनवरी, 2016 तक यह प्रणाली लगायेगी, इसमें असफल रहने पर वर्तमान संविदा के अन्तर्गत इसे उनके दायित्वों का उल्लंघन समझा जायेगा। आरएफआईडी आंकड़ों की आपूर्ति दिल्ली नगर निगम और परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को की जायेगी।

3. ऐसी संग्रहित और वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में जमा करवाई गई राशि का उपयोग सार्वजनिक परिवहन के संवर्धन और दिल्ली में असुरक्षित उपयोगकर्त्ताओं अर्थात् साईकिल चालक और पैदल चलने वालों के लिये सड़कों में सुधार हेतु किया जायेगा। वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रत्येक तिमाही पर्यावरण नियंत्रण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) तथा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त व्यय के लेखे तथा प्राप्तियां प्रस्तुत करेगा।

4. परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एक विज्ञापन जारी करेगा जिसमें बाई पास मार्गों के यातायात को दिल्ली में प्रवेश के लिये लगाये गये "पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार" (ईसीसी) के अपेक्षित भुगतान के संबंध में जानकारी होगी। आगे परिवहन विभाग नौ प्रविष्टि स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित करेगा और ईसीसी के संग्रहण और अन्य आवश्यक प्रबंधनों को देखने के लिये औचक दौरा करेगा। परिवहन विभाग कंसेशनेर तथा अन्य एजेंसियों/यातायात पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन के दौरान जनता को ट्रैफिक जाम तथा अन्य असुविधाओं का सामना न करना पड़े।

5. (i) दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहन तथा ईसीसी लगने वाले वाहनों का खाता सरकार को मिलने वाले समुचित तथा सही/न्यायसंगत करों के संग्रहण में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जिससे हेराफेरी समाप्त हो सके। इस संदर्भ में आरएफआईडी/अन्य तकनीकों का प्रयोग इन निदेशों के सुचारू और समुचित क्रियान्वयन हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा।

(ii) आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी टोल संग्रहण एजेंसी/ कंसेशनेर इस अधिसूचना का समुचित अनुपालन करें।

(iii) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस मामले में तथा माननीय न्यायालय के निदेशों के क्रियान्वयन में नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

6. यह अधिसूचना माननीय न्यायालय के निदेशों के अनुसार प्रायोगिक आधार पर 01 नवम्बर, 2015 से प्रारंभ होकर चार माह की अवधि के लिये प्रवर्तित होगी।

डॉ. अनिल कुमार, विशेष सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th October, 2015

F. No. 10(13)/Env/2015/6167-6189.—In compliance with the order dated 9.10.2015 of Hon'ble Supreme Court in Interlocutory Application No. 345 of 2015 & No. 365 of 2015 in Writ Petition (Civil) No. 13029/1985, the Government of NCT of Delhi hereby levies Environment Compensation Charge (ECC) on the light and heavy duty commercial vehicles on the following rates:

(i) Category 2 (light duty vehicles etc.) and category 3 (2 axle trucks) Rs. 700/-

(ii) Category 4 (3 axle trucks) and category 5 (4 axle trucks and above) Rs. 1300/-

However, this charge shall not be imposed on following;

(a) Passenger vehicles and ambulances

(b) On vehicles carrying essential commodities, that is, food stuffs and oil tankers.

2. The charge shall be collected by the toll collecting agency / concessionaire of Delhi Municipal Corporation namely, SMYR Consortium LLP without any deduction and deposited in the account/head Maintained by the Finance Department of Govt. of NCT Delhi on every Friday. The toll collecting agency / concessionaire will put in place Radio Frequency Identification (RFID) system on their own cost at nine main entry points in the city by November 30, 2015 and all the remaining 118 entry points in the city by 31st January, 2016, failing which it shall be treated as in breach of its obligation under the existing contract. The RFID data shall be supplied to the Delhi Municipal Corporations and Transport Department, GNCTD.

3. The amount so collected and deposited with Finance Department, GNCTD shall be used for augmenting public transport and improving roads, particularly for most vulnerable users, i.e. cyclist and pedestrians in Delhi. The Finance Department, GNCTD shall furnish the accounts and receipts of expenditure incurred to the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA) and Supreme Court each quarter.

4. The Transport Department, GNCTD will issue the advertisements to inform traffic of the bypass routes and the information about the imposition of the 'Environment Compensation Charge' (ECC) required

to be paid for entry into Delhi. Further, the Transport Department will also install CCTV camera on 9 entry points and also conduct surprise visits to oversee collection of ECC and other necessary arrangements. The Transport Department, along with Concessionaire and other agencies/Traffic Police, shall ensure that in the course of implementing the order of the Hon'ble Court, traffic jams and other inconvenience to the public is avoided.

5. (i) Accounts of commercial vehicles entering Delhi and liable for ECC will be quite critical for collection of proper and correct/rightful dues to the Government, avoiding leakage. In this context, deployment of RFID/other technology will in turn be really important for smooth and proper implementation of directions.

(ii) Commissioner, South Delhi Municipal Corporation will ensure proper compliance of this notification from the toll collecting agency / concessionaire.

(iii) The Transport Department, GNCTD shall act as nodal department on the matter and for implementing the directions of the Hon'ble Court.

6. This Notification shall be operative for a period of 4 months starting from 1st November, 2015 on an experimental basis as directed by Hon'ble Court.

Dr. ANIL KUMAR, Spl. Secy. (Environment)